## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 887वी बैठक दिनांक 01.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 887वी बैठक दिनांक 01.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

**प्राधिकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–**

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | जिला | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11187 / 2024 | 1(a) | रायसेन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 2. | 11153 / 2023 | 1(a) | ग्वालियर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| 3. | 10727 / 2023 | 1(a) | जबलपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 4. | P-2/1329/25 | 1(a) | मण्डला | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 5. | 11106 / 2023 | 1(a) | विदिशा | फर्शीपत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 6. | 10738/2023 | 1(a) | देवास | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| 7. | 10737/2023 | 1(a) | बड़वानी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| 8. | 11197/2023 | 1(a) | नीमच | पत्थर खदान | For ToR (DEIAA-EC) | ToR जारी किया जाये |
| 9. | P-2/1511/25 | 1(a) | धार | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| 10. | 10721/2023 | 1(a) | देवास | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| 11. | 10495/2023 | 1(a) | भोपाल | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |

11/8/2025
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

11/08/25
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

11.08.25
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.** | 10984/2023 | 1(a) | शिवपुरी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| **13.** | P-2/512/25 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| **14.** | P-2/560/24 | 1(a) | शाजापुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| **15.** | 11207/2023 | 1(a) | ग्वालियर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| **16.** | 11122/2023 | 1(a) | ग्वालियर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| **17.** | 11117/2023 | 1(a) | ग्वालियर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| **18.** | 9432/2022 | 1(a) | रतलाम | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| **19.** | 10685/2023 | 1(a) | अशोकनगर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| **20.** | P-2/1710/25 | 1(a) | रीवा | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं (DEIAA-EC) | निरस्त किया जाये |
| **21.** | 10681/2023 | 1(a) | गुना | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये |
| **22.** | 11218/2024 | 1(a) | सीहोर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | निरस्त किया जाये |
| **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु** | | | | | | निरंक |

11.08.2025 | 11/08/25 | 11.08.25

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

1. **Case No. 11187/2024 Prior Environment Clearance for Kakrua Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 2.429 ha. For Production capacity 7276.5 cum per year at Khasra No. 2/1/1/1, in Village- Kakrua, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) by Shri Sanjeev Samaiya S/o Shri Babulal Jain, Owner, R/o Makan No. 864/1, Ward No. 9, Holi Chowk, District-Raisen (MP)-464886, [451001]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 785वीं बैठक दिनांक 15.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. SEAC के कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित खनन योजना दिनांक 06.09.2024 नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्तुत किया गया है किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खनन योजना परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित खनन योजना दिनांक 06.09.2024 नॉन ब्लास्टिंग परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये तदनुसार SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**2. Case No 11153/2023 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 44782 cum per year (As per SEAC recommendation) at Khasra No. 3717/2 at Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) by Shri Rohit Sharma, Partner, M/s Stonex Infra, R/o Narmada Colony, Gandhi Road, Morar, District-Gwalior (MP)-474006.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 786वीं बैठक दिनांक 16.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 786वीं बैठक दिनांक 16.04.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 11760 दिनांक 10.10.2022 के अनुसार नवीनीकरण दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 01.05.2033 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**3. Case No 10727/2023 Prior Environment Clearance for Badaiyakheda Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) Mine in an area of 1.25 ha. for production capacity of 25347 cum per year at Khasra No. 20, 22, 24P in Village-Badhaiya Kheda, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) by Shri Gaurav Bhanot, Owner, 1101, Bhanot House, Gorakhpur, District-Jabalpur (MP)-480021.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 789वीं बैठक दिनांक 29.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नन्नुसार स्थिति पाई गई :–

> SEAC के कार्यवाही विवरण में उल्लेख अनुसार प्रकरण DEIAA EC Re-appraisal का है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति अपलोड नहीं की गई है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण DEIAA EC Re-appraisal का है अथवा नही है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है अतः प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व अभिमत हेतु SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

4. **Case No P2/1329/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 3.62 ha. for production capacity of 30,000 cum per annum at Khasra No. 631, 632, 633, 634, 635, 636 & 125 at Village-HUGHARI TehsilGhughari District Mandla (M.P.) by Shri Ashish Kumar Agrawal, Owner, Village- Ghughari, Tehsil- Ghughari, Distt – Mandla (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वीं बैठक दिनांक 17.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :–

SEAC के कार्यवाही विवरण में उल्लेख अनुसार प्रकरण DEIAA EC Re-appraisal का है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति अपलोड नहीं की गई है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण DEIAA EC Re-appraisal का है अथवा नही है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है अतः प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व अभिमत हेतु SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**5. Case No 11106/2023 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 3.13 ha. for production capacity 8640 cum per year at Khasra No. 11/1, 7/4, in Village Ramgarh, Tehsil-Pathari, DistrictVidisha (MP) by Shri Rajiv Sharma, R/o Village & Tehsil Pathar, District- Vidisha (MP)-464337 [435346].**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र, नैबेट का वैद्य प्रमाण पत्र, प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है। SEAC द्वारा भी उक्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने के दौरान उक्त दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त नहीं किया गया।
2. SEAC के कार्यवाही विवरण अनुसार पूर्व मे DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का अनुपालन अपूर्ण पाया गया है, का भी परिपालन कराया जाये ।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 व 2 के दृष्टिगत प्रकरण SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**6. Case No 10738/2023 Prior Environment Clearance for Amlataj Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 1.70 ha. for production capacity 6000 cum per year (As per DEIAA EC) at Khasra No. 2176, 2177 in Village-Amlataj, Tehsil- Hatpiplya, District-Dewas (MP) by Shri Praveen Patel, Lessee, R/o Village Mehatwada, TehsilJavar, District-Sehore (MP)-466118, [436264]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 806वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र कमांक 491 दिनांक 03.04.2018 अनुसार पत्र कमांक 778 दिनांक 05.01.2018 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले वेयरहाउस एवं ग्रामीण सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**7. Case No 10737/2023 Prior Environment Clearance for Pisnawal Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 1.0 ha (Minable area 0.48 ha as per SEAC Recommendation). for production capacity Stone 5820 cum per year (As per DEIAA EC) at Khasra No. 397 in Village-Pisnaval, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP) by Shri Praveen Rathod, Lessee, R/o Village Pisnaval, Jhopali, District-Barwani (MP)-451666, [438338]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 806वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र कमांक 1174 दिनांक 05.12.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**8. Case No 11197/2024 Prior Environment Clearance for Fusariya Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 4.00 ha. for production capacity 30000 cum per year at Khasra No. 1248 in Village- Fusariya, Tehsil- Singoli, District Neemuch (MP) by Shri Roop Kachchhawa, Owner, R/o Bass Gadi Kuwa, Tausar, District Nagaur (RJ)-341001 [453823]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) एवं विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.01.2025 के परिपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE के संबंध में टीप प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

III. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधिवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई / ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

**अतः परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**9. Case No. P2/1511/2025 Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 1.0 ha. for production capacity (Gitti – 9500 cum per year at Khasra No. 548/1 in Village- Nagjhiri, Tehsil – Badnawar, District Dhar (MP) by Shri Krishna Khokar Village Kod, Tehsil Badnawar, District - Dhar (M.P) (DEIAA- B2) (466404)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश क्रमांक 1875 दिनांक 30.06.2018 के माध्यम से दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 13.08.2028 तक नवकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**10. Case No 10721/2023 Prior Environment Clearance for Dhamanda Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 4.00 ha. for production capacity 19885 cum per year at Khasra No. 37/1 in Village- Dhamanda, Tehsil-Dewas, District Dewas (MP) by Smt. Asha Patwala, Lessee, R/o 91, Sukh Niwas, District- Indore (MP)-452013, [DEIAA] [521264]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 188 दिनांक 13.02.2019 अनुसार लीज दिनांक 15.07.2019 से 14.07.2029 तक स्वीकृत होकर संचालित है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.07.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं तलैया से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद 03 वृक्षों को बैरियर जोन एवं पहुंच मार्ग में विस्थापित कर किये गए कार्यो के फोटोग्राफ्स मय अक्षांश–दशांश 01 माह के भीतर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाये, इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन. एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**11. Case No 10495/2023 Prior Environment Clearance for Kardai Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 4.00 ha. for production capacity Stone 19950 cum per year (As per DEIAA EC) at Khasra No. 244, 245, in Village-Kardai, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) by Shri Nikhil Singh, Lessee, R/o MIG-28, Pratham Tal, Gomti Colony, Nehru Nagar, District-Bhopal (MP)- 462039, [520021]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के आदेश क्रमांक 3198–99 दिनांक 24.11.2022 अनुसार लीज दिनांक 16.08.2016 से 15.08.2026 तक स्वीकृत होकर संचालित है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.08.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(xiii) **परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**12. Case No 10984/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of Stone 30500 cum per year (As per DEIAA) at Khasra No. 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3, Village-Bamor, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) by M/s OM Crusher Stone, Partner Shri Ved Prakash Sharma, R/o Gautam Vihar Colony, District Shivpuri (M.P.) 473551.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 846–847 दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश पृ.क्रं. 1362 दिनांक 18.10.2016 के अनुसार उत्खनिपट्टा की अनुबंध अवधि दिनांक 11.08.2016 से 10.08.2026 तक है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.08.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**13. Case No. P2/512/2025 Prior Environment Clearance for Akya Najik Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) area of 4.00 hectares for production capacity stone 23,936 m3/year at Khasra No. 60, 61 Village Aakyanajik, Tehsil Nagda, District Ujjain (M.P.) by Dwarkadhish Mehta, R/o-Station Road Infront of Higher secondary School Unhel, Tehsil- Nagda, District- Ujjain, M.P [531531]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 169–70 दिनांक 05.01.2021 अनुसार लीज दिनांक 21.04.2020 से 10 वर्ष की नवीनीकरण स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.04.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों को बैरियर जोन एवं पहुंच मार्ग में विस्थापित कर किये गए कार्यो के फोटोग्राफ्स मय अक्षांश–दशांश 01 माह के भीतर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाये, इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)**<br>**सदस्य सचिव** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**<br>**सदस्य** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)**<br>**अध्यक्ष** |

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**14. Case No P2/560/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 1.00 ha. for production capacity Stone 3000 m3/Year (As per DEIAA EC) at Khasra No. 346 Min-6 in Village. Sarsi, Tehsil – Mo. Badodiya, Distt. Shajapur (M.P.) by Shri Bahadur Singh Gurjar, Partner, M/s Maa Baglamukhi Stone Crusher LLP, R/o-Bus stand Agar- Sarangpur Road Community health centare Mo. Badodiya Shajapur, M.P. [461009]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 एवं 750वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

*पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किया जाना है। प्रश्नाधीन प्रकरण पुनः परीक्षण की श्रेणी में आता है।*

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 808वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 एवं 750वी बैठक दिनांक 14.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के लीज हस्तांतरण आदेश क्रमांक 1123 दिनांक 03.10.2023 अनुसार लीज दिनांक 01.06.2018 से 31.05.2028 तक स्वीकृत होकर संचालित है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| सदस्य सचिव | सदस्य | **अध्यक्ष** |

15. **Case No 11207/2023 Prior Environment Clearance for Biloua Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 3.576 ha. for production capacity 50000 cum per year at Khasra No. 2653, 2637 min-2, 2637 min-3, 2637 min-4, 2637 min-5, 2636, 2635/1, in Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) by Smt. Rekha Shukla, Owner, R/o Sai Sankalp Apartment, Flat No. 401, Kilkari Hospital ke Pass, Lashkar, District Gwalior (MP)-474001, [536904] [DEIAA]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

*"After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendadtion for grant of EC on the following grounds.*

- *The EIA report AAQ , PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit laid down under National Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.*
- *In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area_as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.*

*In view of above this case is not recommended for grant of prior EC."*

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया कि "प्रकरण में SEAC द्वारा EC Not Recommednded है परंतु Serial No. 16 प्रकरण कमांक 11122/2023 में Online SEAC के द्वारा ADS जारी किया गया है बाकी दोनो प्रकरण Serial कमांक 15 एवं 17 में भी SEAC के द्वारा वही जानकारी चाही गई है जो कि Serial No. 16 के प्रकरण में चाही गई है" के आधार पर पर प्रकरण में समस्त जानकारी SEAC के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी अतः पुनः SEAC को अग्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**16. Case No 11122/2023 Prior Environment Clearance for Bilaua Crusher Stone (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 2.00 ha. for production capacity 32765 cum per year at Khasra No. 3909/min 1, 3909/min-2, in Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District Gwalior (MP) by Shri Rajeev Sharma, Owner, R/o VillageBargama, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)-475110, [536947] [DEIAA] (EIA)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

*"After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendadtion for grant of EC on the following grounds.*

- *The EIA report AAQ , PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit laid down under National Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.*
- *In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area_as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.*

*In view of above this case is not recommended for grant of prior EC."*

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया कि "प्रकरण में SEAC द्वारा EC Not Recommednded है परंतु Serial No. 16 प्रकरण कमांक 11122/2023 में Online SEAC के द्वारा ADS जारी किया गया है बाकी दोनो प्रकरण Serial कमांक 15 एवं 17 में भी SEAC के द्वारा वही जानकारी चाही गई है जो कि Serial No. 16 के प्रकरण में चाही गई है" के आधार पर पर प्रकरण में समस्त जानकारी SEAC के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी अतः पुनः SEAC को अग्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**17. Case No 11117/2023 Prior Environment Clearance for Gangapur Crusher Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 1.563 ha. for production capacity 3,00,000 cum per year at Khasra No. 234/3, in Village Gangapur, Tehsil-Dabra, District Gwalior (MP) by Shri Brajesh Gupta, Owner, R/o Niwasi-Jhansi Road, Balla ka Dera, District Gwalior (MP)-475110, [537495] [DEIAA] (EIA)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

*"After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendadtion for grant of EC on the following grounds.*

- *The EIA report AAQ, PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit laid down under National Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.*
- *In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.*

*In view of above this case is not recommended for grant of prior EC."*

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया कि "प्रकरण में SEAC द्वारा EC Not Recommednded है परंतु Serial No. 16 प्रकरण कमांक 11122/2023 में Online SEAC के द्वारा ADS जारी किया गया है बाकी दोनो प्रकरण Serial कमांक 15 एवं 17 में भी SEAC के द्वारा वही जानकारी चाही गई है जो कि Serial No. 16 के प्रकरण में चाही गई है" के आधार पर पर प्रकरण में समस्त जानकारी SEAC के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी अतः पुनः SEAC को अग्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**18. Case No 9432/2022 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 1.00 ha. for production capacity Stone 3007 Cum per year (As per DEIAA EC) at Khasra No. 273/17 in Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) by Shri Shabbir Pakawala, Leasee R/o 16, Rambaag, District Ratlam (MP)-457001, [EC-470686]. EIA**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 एवं में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट--ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1420 दिनांक 07.02.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.02.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले स्टाप डैम एवं रपटा से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| (दीपक आर्य)<br>**सदस्य सचिव** | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>**सदस्य** | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>**अध्यक्ष** |
|---|---|---|

**19. Case No 10685/2023 Prior Environment Clearance for Muhal Dehar Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 3.279 ha. (38475 cum per year) (Khasra No. 119), Village Muhal Dehar, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) by Shri Pawan Khatik, Partner, M/s S.S. Infra, R/o Veer Sawarkar Market, Dukar No. 5, District- Shivpuri (MP) 473551,.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 एवं 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 एवं 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर का लीज हस्तांतरण आदेश क्रमांक 417 दिनांक 11.07.2019 के माध्यम से दिनांक 11.01.2027 तक की अवधि हेतु अंतरण किया गया है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.01.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**20. Case No P2/1710/2025 Prior Environment Clearance for Stone mining project (Open cast Semi-mechanised methed), in an area- 2.00 ha for Production capacity 40,000 CuM at Khasra No.- 464,465, 466/3 & 457 in Village-Sumeda, Tehsil-Huzur, District- Rewa, State –(M.P.) by Shri. Pawan Singh, R/oVillage- Sumeda, Post Bihra, Tehsil- Huzur, District- Rewa, M.P [541915]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 809वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

*"......पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर समिति ने प्रकरण में निम्नलिखित स्थिति पाई गई है :–*

*लीज क्षेत्र दक्षिण दिशा में खुदा हुआ है एवं बैरियर जोन भी आंशिक रूप से खुदा हुआ है । डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति का पालन नहीं पाया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।"*

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**21. Case No 10681/2023 Prior Environment Clearance for Khamkheda Crusher Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 4.00 ha. (10830 cum per year) (Khasra No. 136/2/k), Village Khamkhera, Tehsil- Aron, District- Guna (MP) by Shri Vishal Raghuwanshi, Owner, R/o Ashok Nagar Road, Khamkheda, District- Guna (MP)-473101,.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वीं बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 805वीं बैठक दिनांक 26.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के आदेश क्रमांक 3175 दिनांक 20.03.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं हटमेन्टस से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**22. Case No. 11218/2024 Prior Environment Clearance for Hasnabad Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised methed) in an area of 4.00 ha. for production capacity Stone 27930 cum per year at Khasra No. 56/1, in Village- Hasnabad, Tehsil- Sehore, District- Sehore (MP) by Smt. Annapurna Thakur, Lessee, R/o Near Church, Ganga Ashram, District-Sehore (MP)-466001**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 एवं 745वी बैठक दिनांक 30.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर एवं SEAC की कार्यवाही विवरण में उल्लेख अनुसार खदान क्षेत्र से 85 मीटर की दूरी पर एक मछलीपालन टेंक निर्मित है। माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के परिपालन में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से निर्धारित दूरी के लिये ब्लॉस्टिंग हेतु 200 मीटर एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु 100 मीटर के मापदण्ड निर्धारित है। चूँकि खदान क्षेत्र से मछली पालन टेंक 85 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें माननीय एनजीटी के अनुसार 200 मीटर तक निर्धारित दूरी छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त कियां जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

**अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |